Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी,

मुकाम श्रीडूंगरगढ

अन्नपूर्णा पुत्री जयचन्द जाति ब्राहम्मण निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर बनाम जयचन्द वगै.

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर।27/2025 U/S 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
10.07.2025	आज यह प्रार्थना पत्र अन्नपूर्णा ने जरिये श्री राजूराम बाना अधिवक्ता मार्फत पेश किया। उक्त वादगत खसरान भूमि के संबंध में श्री मदनगोपाल स्वामी,साबिर अली अधिवक्ता द्वारा केवियट प्रार्थनना पत्र मय दस्तावेजात उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने से पूर्व पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली किया गया। केवियट प्रार्थी अधिवक्ता श्री मदनगोपाल स्वामी, साबिर अली को सूचित किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजूराम बाना द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई जिस पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। श्री मदनगोपाल स्वामी, साबिर अली (केवियट प्रस्तुतकर्ता) अधिवक्ता ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में सुनवाई एवं जवाब दिये जानें का अवसर प्रदान किये बिना किसी तरह का आदेश पारित नहीं करनें का निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। न्यायालय की राय में प्रथमतः अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः इस स्तर पर प्रार्थी की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 19.08.2025 को पेश हों । उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
11.7.2025	आज यह पत्रावली प्रार्थिनी ने जरिये अधिवक्ता [illegible] वापस लिये जाने पर प्रा.पत्र पेश [illegible] मूलवाद [illegible] खारिज किया जा[illegible] औचित्य नहीं रहा [illegible] है। पत्रावली [illegible] खारिज किया जा[illegible] बाद तामील [illegible] शामिल दफ्तर हो।	Annpurna

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.21 14:01:04 IST
Reason: SelfAttested